

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता  
आई.ए.एस.मिसल संख्या  
मैनुअल सं. 82/रेफरेंस/10  
(GCMS No.2010/00142)तारीख दायरा  
20.09.2010तारीख निर्णय  
16.09.2020राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

- प्रार्थी

बनाम

देवबाई बेवा देवीलाल जाति भील,  
निवासी ग्राम थडी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज0)

- अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी ने अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम भवानीपुरा के खसरा संख्या 50 रकबा 1-10 बीघा, 51 रकबा 2-07 बीघा एवं 53 रकबा 4-02 बीघा में से 2-01 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म 'गे.मु.तालाब' राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थी के नाम की अवैध प्रविष्टी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 25.08.2020 को अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।



तत्पश्चात् बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा सं. 37) की किस्म 1947 से पूर्व 'तालाब' दर्ज रेकार्ड थी, जो पानी के बहाव के काम में आती थी तथा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पूर्वानुसार पाल राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस परोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2000 से 2004, मिलान क्षेत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम भवानीपुरा की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या 37 थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **तालाब** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बंनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै. मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र सं. 9213-9244 दिनांक 13.11.07 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम भवानीपुरा (तहसील तालेडा) में विस्थित भूमि वर्तमान खसरा सं. 50 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.सं. 51 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा एवं ख.सं. 53 रकबा 4-02 बीघा में से 2 बीघा 01 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा पर अप्रार्थी को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु.तालाब दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाया जाता है। अतः पत्रावली फौसले में शुमार होकर रेफरेंस प्रकरण निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( आशीष गुप्ता )  
जिला कलक्टर, बून्दी  
जिला कलक्टर, बून्दी

